374

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

राजबीर सेहरावत जे. के समक्ष,

शशांक झा-याचिकाकर्ता

बनाम

मेसर्स दिया असोसिएट , सिरसा - प्रतिवादी

2019 का सी. आर. एम.-एम. संख्या. 5076 (ओ. एंड एम.)

04 फरवरी, 2019

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881- अस. 145 शपथ पत्र पर साक्षय-बचाव में अपने स्वयं के गवाह के रूप में उपस्थित होने के दौरान अभियुक्त को शपथ पत्र के माध्यम से साक्षय देने का कोई अधिकार नहीं है-अभियुक्त द्वारा उसे बचाव पक्ष के गवाह के रूप में उपस्थित होने और शपथ पत्र के माध्यम से साक्षय देने की अनुमति देने के लिए दायर आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया गया।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त घोषणा अभियुक्त के शपथ पत्र के माध्यम से साक्षय का नेतृत्व करने के अधिकार के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ती है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अभियुक्त, बचाव में अपने स्वयं के गवाह के रूप में उपस्थित होने के बावजूद, उसे शपथ पत्र के माध्यम से साक्षय का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है ।हालाँकि, भले ही भारतीय बैंक संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मांडवी सहकारी बैंक लिमिटेड में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत माना जाता है, फिर भी, यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा मांडवी सहकारी बैंक लिमिटेड में दिया गया फैसला है जो इस क्षेत्र को कब्ज़ा करेगा, जो समय से पहले था और जिसे समान शक्ति की पीठ द्वारा दिया गया था।

(पैरा 10)

अंजलि खोसला, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

राजबीर सहरावत, जे. (ओरल)

(1) वर्तमान याचिका में अनुरोध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिरसा द्वारा पारित दिनांक 11.01 .2019 के आदेश को रद्द करने के लिए है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा एन. आई. अधिनियम की धारा 145 के तहत उसे बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश होने और हलफनामे के माध्यम से सबूत पेश करने की अनुमति देने के लिए दायर आवेदन को आंशिक रूप से खारिज कर दिया गया था।

(2) याचिका में बताए गए तथ्यों से पता चलता है कि 2012 में वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी ।तब से यह मामला निचली अदालत में चल रहा है ।अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हो चुकी है ।

375

शशांक झा बनाम मैसर्स दिया असोसिएट , सिरसा

(राजबीर सेहरावत, जे.)

(3) बचाव पक्ष के साक्षय के स्तर पर, याचिकाकर्ता-अभियुक्त ने अपना गवाह बनने और हलफनामे के माध्यम से साक्षय का नेतृत्व करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया है ।निचली अदालत ने वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है । यद्यपि वर्तमान याचिकाकर्ता, मामले में एक अभियुक्त होने के नाते, मामले में अपने स्वयं के गवाह के रूप में उपस्थित होने की अनुमति दी गई है, हालाँकि, शपथ पत्र के माध्यम से अपने साक्षय का नेतृत्व करने की अनुमति को निचली अदालत ने अस्वीकार कर दिया है ।(4) मामले में बहस करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 145 निचली अदालत द्वारा हलफनामे के माध्यम से साक्षय लेने की अनुमति देती है ।इसके अलावा, वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि धारा 315 के प्रावधानों के अनुसार, आरोपी को उसके खिलाफ मुकदमे में एक सक्षम गवाह के रूप में लिया जाना है ।इसलिए, याचिकाकर्ता को अपने स्वयं के गवाह के रूप में उपस्थित होने और अपने बचाव में साक्षय का नेतृत्व करने का पूरा अधिकार है । इसके अलावा, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि चूंकि एन. आई. अधिनियम की धारा 145 शपथ पत्रों के माध्यम से निचली अदालत द्वारा साक्षय लेने का प्रावधान करती है, इसलिए शिकायतकर्ता के साक्षय और आरोपी के साक्षय के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है ।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रावधान का लाभ उठाकर, निचली अदालत को याचिकाकर्ता को हलफनामे के माध्यम से साक्षय का नेतृत्व करने की अनुमति देनी चाहिए थी ।याचिकाकर्ता के वकील ने अफजल पाशा बनाम मोहमद अमीरजान मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है । 2016 की आपराधिक याचिका No.1684, पर निर्णय 09.09.2016 को लिया गया

और अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय का एक फैसला राकेश भाई मगन भाई बारोट बनाम गुजरात राज्य- का विशेष आपराधिक 2018 का आवेदन संख्या. 3367 पर निर्णय 29.01.2019 को लिया गया ।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुनने और मामले को देखने के बाद, इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क में कोई सार नहीं मिलता है ।इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अभियुक्त अपने खिलाफ एक मामले में एक सक्षम गवाह है और इसलिए, उसे कानून के अन्य प्रावधानों के अधीन, गवाह के रूप में उपस्थित होकर भी अपना बचाव करने का अधिकार है ।इसलिए, निचली अदालत ने आरोपी/याचिकाकर्ता को अपने बचाव में पेश होने और खुद को गवाही देने की अनुमति दी है ।(6) जहाँ तक हलफनामे के माध्यम से साक्षय का नेतृत्व करने पर याचिकाकर्ता के आग्रह का संबंध है, इस न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिए एक वैध तर्क दिया है ।निचली

अदालत ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया है, जैसा कि मांडवी सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम निमेश बी. ठाकुर 1 में दिए गए अपने फैसले में बताया गया है।

1 2010 (1) जे. टी. 259

376

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

उस मामले में, उच्च न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि ने अभियुक्त के साक्षय को शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी।हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे प्रस्ताव पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय के आदेश को गलत माना। तदनुसार, उस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया था; जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त को एन. आई. अधिनियम की धारा 145 के संदर्भ में एक हलफनामे के माध्यम से अपने साक्षय का नेतृत्व करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद के फैसले पर भरोसा किया है।

भारतीय बैंक संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2

यह तर्क देने के लिए कि मांडवी सहकारी बैंक लिमिटेड (उपरोक्त) में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इस फैसले में एक संदर्भ मिला है और उसी पर विचार करने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत एक शिकायत में प्रमुख साक्षय के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। इसलिए, मांडवी सहकारी बैंक लिमिटेड (उपरोक्त) में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय के बाद के फैसले द्वारा समझाया और अलग किया गया है।इसलिए, याचिकाकर्ता को शपथ पत्र के माध्यम से साक्षय का नेतृत्व करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(8) हालाँकि, इस न्यायालय ने पाया कि बाद में भी

भारतीय बैंक संघ (ऊपर) के मामले में निर्णय, माननीय

उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से अभियुक्त को हलफनामे के माध्यम से साक्षय देने की अनुमति नहीं दी है।इसके विपरीत, मांडवी सहकारी बैंक लिमिटेड (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव था; विशेष रूप से अभियुक्त को शपथ पत्र के माध्यम से साक्षय का नेतृत्व करने का अधिकार था।जैसा कि ऊपर देखा गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्ताव की पूरी तरह से जांच की है।इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त के हलफनामे के माध्यम से साक्षय देने के अधिकार के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया गया था।उसी को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"8. उच्च न्यायालय के फैसले ने इन सात अपीलों को जन्म दिया है, जिसमें निम्नलिखित तीन मुद्दे इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए उत्पन्न होते हैं:

1. एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स

2. एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स

3. क्या अधिनियम की धारा 145 (1) के तहत शिकायतकर्ता को दिए गए हलफनामे पर साक्षय देने का अधिकार

2 2014 (2) आर. सी. आर. (आपराधिक) 598

377

शशांक झा बनाम मैसर्स दिया असोसिएट न,सिरसा

(राजबीर सेहरावत, जे.)

क्या अभियुक्त के लिए भी उपलब्ध है?(एसएलपी (सीआरएल) से उत्पन्न होने वाली अपील नंबर . 3915/2006)

(9) तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया कि एन. आई. अधिनियम की धारा 145 में निहित भाषा की किसी भी व्याख्या से यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त को शपथ पत्र के माध्यम से साक्षय का नेतृत्व करने का अधिकार है ।माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं:- “30. अब शिकायतकर्ता की तरह अभियुक्त के शपथ पत्र पर अपना साक्षय देने के अधिकार के संबंध में अंतिम प्रश्न पर आते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 315 और 316 के प्रावधानों के अधीन आरोपी भी शपथ पत्र पर अपना साक्षय दे सकता है ।उच्च न्यायालय इस बात से पूरी तरह अवगत था कि धारा 145 (1) अभियुक्त को शिकायतकर्ता की तरह शपथ पत्र पर अपना साक्षय देने का प्रावधान नहीं करती है ।लेकिन उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि अभियुक्त के खिलाफ हलफनामे पर अपना साक्षय देने पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियुक्त को समान अधिकार प्रदान करना मुकदमे की प्रक्रिया को तेज करने के विधायी इरादे को आगे बढ़ाने में होगा ।फैसले के पैराग्राफ 29 में, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"यह सच है कि धारा 145 (1) शिकायतकर्ता को शपथ पत्र पर साक्षय देने का अधिकार प्रदान करती है ।यह अभियुक्त को समान अधिकार प्रदान किए जाने की बात नहीं करता है ।भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत अभियुक्त को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर होने से दी गई प्रतिरक्षा को देखते हुए विधानमंडल ने अपने विवेक से धारा 145 की उप-धारा (1) में 'शिकायतकर्ता' शब्द के साथ 'अभियुक्त' शब्द को शामिल करना उचित नहीं समझा होगा।

फिर फैसले के पैराग्राफ 31 में यह कहा गया:

"..... केवल इसलिए कि धारा 145 (1) अभियुक्त को ऐसा करने की स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं देती है, इसका मतलब यह नहीं है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को उसी सादृश्य को लागू करके हलफनामे पर अपना साक्षय देने की अनुमति नहीं दे सकता है जब तक कि ऐसी अनुमति से इनकार करने के लिए उचित और उचित आधार न हो।

अभियुक्त पर अधिनियम या संहिता में शपथ पत्र पर साक्षय देने के लिए कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है। मुझे संहिता की धारा 315 और 316 में निहित प्रावधानों के अधीन अभियुक्त को हलफनामे पर अपना साक्षय देने की अनुमति देने से इनकार करने का कोई उचित कारण नहीं मिलता है।

31. इस मुद्दे पर, हमें डर है कि उच्च न्यायालय ने खुद पर अतिक्रमण किया और एक ऐसा मार्ग अपनाया जो विधायी कार्यों को संभालने के बराबर है।

एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स

34. रघुनाथ राय बरेजा और अन्य बनाम पंजाब राष्ट्रीय बैंक और अन्य. यह देखते हुए कि कानून बनाना लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का काम है, न कि न्यायाधीश का, भले ही इससे कठिनाई या असुविधा हो, सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि में उद्धृत किया, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर की टिप्पणी जो इस प्रकार है:

"41.जैसा कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश फ्रैंकफर्टर ने कहा (देखें "ऑफ लॉ एंड मेन:फेलिक्स फ्रैंकफर्टर के कागजात और पते ")" यहां तक कि उनकी पसंद के क्षेत्र में भी अदालतें बड़े पैमाने पर नहीं हैं।वे व्याख्या के क्षेत्र में अपने विशेष अभ्यास में न्यायिक कार्य की प्रकृति और दायरे से सीमित हैं।वे हमारे लोकतांत्रिक समाज में न्यायिक कार्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन हैं।निश्चित रूप से मौखिक मान्यता के मामले में, कोई भी इस बात से सहमत नहीं होगा कि एक क़ानून की वयाखया करने का कार्य विधायक द्वारा उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ का पता लगाना है।इससे आगे बढ़ना उस शक्ति को हड़पना है जिसे हमारे लोकतंत्र ने अपनी निर्वाचित विधायिका में दर्ज किया है।महान न्यायाधीशों ने वहाँ के भाइयों को सीमाओं का पालन करने में अनुशासन की आवश्यकता के बारे में लगातार चेतावनी दी है।एक न्यायाधीश को किसी क़ानून को फिर से नहीं लिखना चाहिए, न तो इसे बड़ा करने के लिए और न ही अनुबंध करने के लिए।नीति-निर्माण की राजनीतिक कौशल जो भी प्रलोभन सुझाए, निर्माण को अंतर्वेशन और निष्कासन से बचना चाहिए।उसे सृष्टि के माध्यम से नहीं पढ़ना चाहिए।उसे एकसव की मूर्खता या आंतरिक विरोधाभास से बचने के अलावा नहीं पढ़ना चाहिए।XXXXXXXXX

36. उपरोक्त के आलोक में हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि उच्च न्यायालय ने यह विचार लेने में गलती की थी कि अभियुक्त द्वारा किए गए अनुरोध पर मजिस्ट्रेट उसे

3 (2007) 2 एस. सी. सी. 230

शशांक झा बनाम मैसर्स दिया असोसिएट , सिरसा

(राजबीर सेहरावत, जे.)

शपथपत्र पर अपना साक्षय प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दे सकता है और इसके परिणामस्वरूप, हम उच्च न्यायालय के फैसले के उप- पैराग्राफ (र) 34 के 45 के पैराग्राफ में निहित निर्देश को दरकिनार कर देते हैं। एसएलपी (सी. आर. एल.) से उत्पन्न अपील नंबर 3915/2006 की अनुमति है।

(10) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त घोषणा अभियुक्त के शपथ पत्र के माध्यम से साक्षय का नेतृत्व करने के अधिकार के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ती है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अभियुक्त, बचाव में अपने स्वयं के गवाह के रूप में उपस्थित होने के बावजूद, उसे शपथ पत्र के माध्यम से साक्षय का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है।हालाँकि, भले ही सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

भारतीय बैंक परिसंघ (उपरोक्त) के मामले को सुझाव के रूप में लिया जाता है।

मांडवी सहकारी बैंक लिमिटेड (ऊपर) में दिए गए उच्चतम न्यायालय के फैसले के विपरीत माना जाता है, तब भी, यह उनके द्वारा दिया गया फैसला है।

तो भी मांडवी सहकारी बैंक लिमिटेड (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय दवारा दिया गया निर्णय समय से पहले होने और समान शक्ति के बेंच द्वारा वितरित होने के कारन क्षेत्र को संभालेगा I

(11) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है।अतः वर्तमान याचिका खारिज किए जाने के योग्य है।

(12) तदनुसार, याचिका गुणदोष से रहित होने के कारण खारिज कर दी जाती है।

मनप्रीत साहनी

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मंजू रानी

अनुवादक